आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

विविध वाद संख्या 153/2019–2020

(भूदान पत्र–दान पत्र संपुष्टि)

आदेश

28-8-2021

भूदाता बखोरा साव, पिता–भूनू साव, ग्राम–मखमीलपुर, थाना–करपी, जिला–अरवल से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्ट हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान–यज्ञ–दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान–यज्ञ–दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
38	298	10 धूर	उतर–गनी मियॉ दक्षिण–सरवल मियॉ पूरब– निजी पश्चिम–इशा मियॉ

मौजा– मखमीलपुर, थाना नं०–21, थाना+अंचल–करपी, जिला–अरवल

भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। दाता की उपस्थिति हेतु कार्यालय पत्रांक 843 दिनांक 31.12.2019 द्वारा अंचल अधिकारी करपी के माध्यम नोटिस तामिला कराया गया एवं प्रस्तावित भूमि से संबंधित जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई। मौजा–मखमीलपुर थाना नं0 21 करपी अंचल से संबंधित नही होने कारण जॉच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी अरवल से मॉग की गई। अंचल अधिकारी अरवल ने पत्रांक 877 दिनांक 30.07.2021 द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया । भूदाता के तरफ से न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं हुए और ना ही किसी के द्वारा आपति दर्ज किया गया।

भूदान यज्ञ–दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, अरवल का जॉच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। भूदान दान पत्र पर भूदाता का अंगुठा का निशान अंकित है। इदृश मियॉ एवं गिरजा सिंह का नाम गवाह में दर्ज है। अंचल अधिकारी अरवल ने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि खतीयान में विहार सरकार किस्म गली कुल रकवा 03 डी0 दर्ज है। जमावंदी किसी के नाम पर कायम नहीं हे। वर्तमान में गली है जो आम जनता का रास्ता है। दान कर्त्ता के पता के अनुसार पता नही चलता है, खेसरा के अनुसार खाता 77, खेसरा सख्या 298, रक्वा 03 डी0 गरमजरूआ आम है।

अंचल अधिकारी अरवल द्वारा जॉच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित खतीयान में विहार सरकार किस्म गली कुल रक्वा 03 डी0 है वर्तमान में गली है, जो आम जनता का रास्ता है भूदान दान पत्र में खेसरा के अनुसार खाता 77 खेसरा संख्या 298 रक्वा 03 डी0 गैरमजरूआ आम भूमि है।

अतः अंचल अधिकारी, अरवल के जॉच प्रतिवेदन के आलोक में भूदाता द्वारा भूदान यज्ञ–दान पत्र के माध्यम से दान में दी गई भूमि का संपुष्ट करना उचित प्रतित नही होता है।भूदान यज्ञ–दान पत्र में दी गई भूमि को असंपुष्ट की जाती है। इसकी एक प्रति कार्यालय मंत्री भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल एवं एक प्रति अंचल अधिकारी, करपी को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

(हस्ताक्षर) 28-8-21

भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

(हस्ताक्षर) 28-8-21

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।